

**अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तादाई**  
**(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)**  
**(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)**  
**सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम चूरु**

**ब इजलास : श्री सक्षम गोयल आई.ए.एस.**

1. शक्ति सरस्वती समिति चूरु जरिये अध्यक्ष लक्ष्मी देवी धर्मपत्नी चिरंजीलाल, जाति ब्राह्मण निवासीनी-बी-18, सेक्टर 2, सैनिक बस्ती, चूरु तहसील व जिला चूरु  
-वादी-

**बनाम**

1. आबिदा पुत्री आमीन, जाति-तेली, निवासिनी-उस्मानाबाद कॉलोनी, वार्ड सं.15, चूरु
2. सुगरा पत्नी आमीन, जाति तेली निवासिनी वार्ड सं. 10, चूरु
3. आसिया पुत्री गनी, जाति तेली निवासिनी वार्ड सं. 14, चूरु
4. जुबेदा पुत्री गनी गनी, जाति तेली निवासिनी वार्ड सं. 14, चूरु
5. बिस्मिल्लाह पुत्री गनी, जाति तेली निवासिनी वार्ड सं. 14, चूरु
6. राबिया पुत्री गनी, जाति तेली निवासिनी वार्ड सं. 14, चूरु
7. हाजरा पुत्री गनी, जाति तेली निवासिनी वार्ड सं. 14, चूरु
8. जाकिर पुत्र लाल मोहम्मद, जाति तेली निवासिनी वार्ड सं. 14, चूरु
9. रफीक पुत्र लालमोहम्मद, जाति तेली निवासिनी वार्ड सं. 14, चूरु
10. हारुन गौरी पुत्र खेरुदीन गौरी, जाति तेली, निवासी-वार्ड सं. 10, चूरु
11. तहसीलदार राजस्थान सरकार तहसील व जिला चूरु

-प्रतिवादीगण-

**दावा अन्तर्गत धारा 53, आर.टी.ए.**  
**मुकदमा नं. 32 सन् 2019**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु हमारे हाजरी श्री अनन्तराम सोनी एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व श्री चेतन स्वरुप एडवोके प्रतिवादी संख्या 1 से 8 व 10 मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 व 10 की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 103 रोही ग्राम चूरु तहसील व जिला चूरु की कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाकर खाते व लगान अलग-अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:-

क. सं.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म भूमि



1.	1. शक्ति सरस्वती समिति चूरु	103 मिन	0.5123	बारानी
2	आबिदा पुत्री आमीन सुगरा पत्नी आमीन ब. हि.ब. 1708/13092 हि. जाति तेली नि. चूरु आसिया जुबैदा बिस्मिल्ला राबिया हाजराबानो पुत्रियां गनी ब.हि.ब. 2846/13092 हि. जाति तेली नि. चूरु रफीक जाकिर पि. लालमोहम्मद ब.हि.ब. 1464/13092 हि. जाति तेली नि. चूरु हारुनगौरी पुत्र खैरदीन गौरी 7075/13092 हि. जाति तेली नि. चूरु खातेदार	103 मिन	1.3092	बारानी
3	प्रस्तावित गै. मु. रास्ता	103 मिन	0.1008	बारानी

तहसीलदार, चूरु को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 13 माह मार्च सन् 2024 को जारी की गई।



(सक्षम गोयल I.A.S.)

सहायक कलक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट,  
चूरु